220

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1994/माघ 12, 1915
No. 45] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1994/MAGHA 12, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

सा. का. नि. 52(अ).— केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (रियायती छुट्टी यात्रा) विनियम, 1994, का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं.पी.आर-12016/20/93-पी.ई-1]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (रियायती छुट्टी यात्रा) विनियमावली 1994

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-28 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन के न्यासी मंडल ने निम्नलिखित विनियमावली बनाई है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (रियायती छुट्टी यात्रा) विनियमावली, 1994 है ।

(2) इस विनियमावली को तब से लागू माना जाएगा जब यह महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदन सहित सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगी ।

2. उपादेयता :

(1) यह विनियमावली पत्तन के उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो मंडल की सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुए हैं । यह निम्नलिखित पर भी लागू होगी :—

(क) जो कम से कम एक वर्ष के लिए ठेके पर नियुक्त हुए हैं।

(ख) सेवा निवृत्ति के बाद जो फिर से काम पर लगे हैं।

(ग) जो दूसरी निकाय में विदेशी सेवा शर्तो पर हैं अगर इस निकाय के साथ नियुक्ति अनुबंध में यह नहीं लिखा है कि रिआयती छुट्टी यात्रा के लिए उस निकाय की विनियमावली उन पर लागू होगी। मंडल में विदेशी सेवा शर्तो पर हैं अगर जब उनके नियुक्ति पत्र में यह नहीं लिखा होगा कि रियायती छुट्टी यात्रा के लिए उन पर उस निकाय की विनियमावली लागू होगी जहां से वे आये हैं।

(2) ये विनियमावली उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो :

(क) जो पूरे समय के लिए नियोजित नहीं हैं।

(ख) अनियत रूप से और दिहाड़ी पर नियुक्त हैं।

(ग) आकस्मिक निधि से वेतन पाते हैं।

3. परिभाषाएं :—

इस विनियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(1) 'मंडल', 'अध्यक्ष' 'उपाध्यक्ष' और 'विभागाध्यक्ष' के वे ही अर्थ रहेंगे जो मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) में बताए गए हैं।

(2) लेखा अधिकारी से तात्पर्य मंडल के लेखा विभाग के ऐसे अधिकारी (यों) से है जिसे अध्यक्ष ने इस विनियमावली के अंतर्गत कर्मचारियों के दावों का भुगतान करने के लिए नियुक्त किया है।

(3) रिआयत से तात्पर्य छुट्टी रिआयती यात्रा से है जो इस विनियमावली के अंतर्गत देय है।

(4) 'कर्मचारी' से तात्पर्य उस कर्मचारी से है जिस पर यह विनियमावली लागू होती है।

(5) 'भारत में एक स्थान' से तात्पर्य वह कोई भी स्थान है जो चाहे मुख्य टापू पर है या दूसरे टापुओं पर है।

(6) 'लघुतम सीधा रस्ता से तात्पर्य उस रास्ते से है जिसके द्वारा यात्री यात्रा के .... सामान्य माध्यम के द्वारा शीघ्रतापू अपने गन्तव्य पर पहुंच सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिस मार्ग से यात्रा करता है वह सबसे छोटा नहीं हैं लेकिन सस्ता है तो उसके द्वारा उपयोग किए गए रास्ते के लिए रिआयत दी जायेगी।

(7) दो पंचाग वर्षो में एक बार इस कथन का यह अर्थ है कि वर्ष 1991 से प्रारम्भ करके दो पंचाग वर्षो में एक बार।

(8) 'चार पंचांग वर्षो में एक बार से तात्पर्य यह है कि वर्ष 1991 से प्रारंभ करके 4 पंचांग वर्षो में एक बार।

(9) 'होम टाउन' से तात्पर्य उस नगर, गांव अथवा किसी अन्य स्थान से है जिसे कर्मचारी ने होम टाउन घोषित किया है और उपयुक्त प्राधिकारी ने मान लिया है।

(10) 'उपयुक्त प्राधिकारी' से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो इस विनियमावली के अंतर्गत रिआयत मंजूर कर सकता है। यह वही प्राधिकारी होगा जो किसी कर्मचारी को छुट्टी मंजूर कर सकता है।

(11) 'परिवार' से तात्पर्य वही है जो केन्द्रीय कर्मचारियों को लागू अनुपूरक नियम 2(8) में समय समय पर बताया गया है।

4. पात्रता :

(1) इस विनियमावली में अन्यत्र प्रावधानों को छोडकर यह रिआयत सभी कर्मचारियों को या उनके परिवारों को तभी दी जाएगी जब कर्मचारियों के द्वारा यात्रा पर जाने के दिन तक नियमित सेवा में एक वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। कर्मचारी द्वारा मंडल की सेवा में नियुक्त या पुनर्नियुक्त होने के दिन से दो तथा चार वर्ष के खण्डों को गिना जाएगा।

(2) जो कर्मचारी मंडल की सेवा में फिर से नियुक्त हुए हैं वे एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर इस रिआयत के हकदार होंगे। किंतु जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त होने के तुरन्त बाद काम पर ले लिया जाएगा तो उसकी सेवा निवृत्त होने के पहले तथा बाद की सेवा यह रिआयत देने के लिए गिनी जाएगी और सेवा निवृत्त होने के बाद सेवा अवधि में रियायत तब दी जायेगी अगर वह रिआयत देय होती जब कि कर्मचारी सेवा निवृत्त नहीं होता।

(3) निलम्बित कर्मचारी यह रिआयत पाने का हकदार नहीं होगा क्योंकि निलंबन के दौरान वह आकस्मिक अवकाश सहित कोई भी अवकाश प्राप्त करने का पात्र नहीं होता है। तथापि उसके परिवार के सदस्यों को यह रिआयत मिलती रहेगी।

5. होम टाउन :

(1) इस विनियमावली के अंतर्गत कर्मचारी अपना होम टाउन घोषित करेगा। कर्मचारी के द्वारा घोषित किया और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा घोषित किया होम टाउन अंतिम रूप से मान लिया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उपयुक्त प्राधिकारी यह नगर परिवर्तन करने की आज्ञा दे सकते हैं किन्तु ऐसा कोई भी परिवर्तन, कर्मचारी के सेवा काल में एक से अधिक बार नहीं किया जा सकेगा।

(2) कर्मचारी अपना होम टाउन भारत के बाहर घोषित कर सकता है किन्तु उसे अपने होम टाउन जाने और आने के लिए मिलने वाली रिआयत उस किराये तक सीमित होगी जो भारत में उस पत्तन के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन से जाने या वहां से आने में देय है जहां से वह विदेश जाता है या आता है।

(3) अगर पति और पत्नी दोनों ही पत्तन के कर्मचारी हैं तो वे दोनों अपनी रुचि के अनुसार अपने/होम टाउन की घोषणा कर सकते है तथा अपने अपने/परिवार के सदस्यों के लिए पृथक रुप से रिआयत की मांग कर सकते है। अगर पति या पत्नी एक दूसरे के परिवार के सदस्य के रूप में रिआयत लेंगे तो फिर से रिआयत नहीं मिलेगी। बच्चों को माता पिता में से किसी एक द्वारा ही किसी आवधि में देय रिआयत दी जाएगी।

6. रिआयत के प्रकार :—

(1) कर्मचारी और उसके परिवार को अपने होम टाउन जाने के लिए दो पंचाँग वर्षों में एक बार मुख्यालय तथा होम टाउन के मध्य दूरी के लिए रिआयत दी जाएगी।

(2) कर्मचारी और उसके परिवार को भारत दर्शन के लिए 4 पंचांग वर्षो में एक बार मुख्यालय तथा भारत के किसी स्ताथान के मध्य सबसे छोटे और सीधे रास्ते से यात्रा करने के लिए रिआयत दी जाएगी। जिस कर्मचारी की घर जाने की रिआयत देय है उसको भारत के किसी स्थान पर भ्रमण करने की रिआयत घर जाने की रिआयत के स्थान पर दी जाएगी।

(3) अगर किसी कर्मचारी का परिवार उससे दूर कहीं उसके होम टाउन में रहता है तो वह उसे और उसके परिवार को दो वर्ष में एक बार होम टाउन जाने तथा 4 वर्ष में एक बार भारत दर्शन के लिए मिलने वाली रिआयत के स्थान पर प्रत्येक वर्ष होम टाउन जाने के लिए रिआयत ले सकता है।

(4) अगर कोई कर्मचारी या उसका परिवार दो वर्ष या चार वर्ष में मिलने वाली रिआयत नहीं ले पाता है तो वह अगले 2 वर्ष या 4 वर्ष के खण्ड के पहले वर्ष में यह रिआयत ले सकता है। अगर कोई कर्मचारी होम टाउन जाने की द्वि-वर्षीय रिआयत का पात्र है तो वह अगर चाहे तो भारत में किसी स्थान पर भ्रमण करने की 4 वर्ष वाली रिआयत पहले ले सकता है तथा गृह नगर जाने की रिआयत को 4 वर्षों के दूसरे द्वि-वर्षीय खण्ड के लिए अग्रेनीत कर सकता हैं।

(5) जब कोई कर्मचारी या उसका परिवार भारत में किसी स्थान पर जाने की रियायत लेना चाहता है तो उन्हें यात्रा स्थान के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी को पहले से ही लिखकर बताना चाहिए। यात्रा के स्थान में परिवर्तन यात्रा के प्रारंभ होने के पहले उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होने के बाद में अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। अगर यह प्रमाणित हो जाए कि अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण कर्मचारी द्वारा यात्रा स्थल में परिवर्तन की प्रार्थना यात्रा प्रारम्भ से पूर्व सम्भव नहीं थी।

(6) कर्मचारी और उसका परिवार दो वर्ष या चार वर्ष के दौरान विभिन्न समूहों में तथा विभिन्न अवधियों में यात्रा कर सकता है। इस प्रकार ली गई रिआयत को उन दो वर्ष या चार वर्ष के खंडों में गिना जाएगा जिनमें यात्रा प्रारंभ की गई, चाहे यात्रा दो वर्ष या चार वर्ष की अवधियों के बाद पूर्ण हुई हो। कर्मचारी तथा उसका परिवार भारत दर्शन के लिए रिआयत लेते समय अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न दर्शनीय स्थानों को देखने जा सकता है।

(7) आकस्मिक तथा विशेष आकस्मिक अवकाश सहित किसी भी प्रकार के अवकाश के दौरान रिआयत ली जा सकती है।

7. हकदारी :—

(1) रेल मार्ग से जुड़े हुए स्थानों के बीच यात्रा राजधानी/शताब्दी एक्सप्रैस :

वेतन	श्रेणी की हकदारी
रु. 2405 से ऊपर वेतन लेनेवाले कर्मचारी	दूसरी श्रेणी का वातानूकूलित दो मंजिला 'शयन यान
रु. 2405 से कम तथा रु. 1665 और उससे अधिक वेतन लेनेवाले कर्मचारी	वातानुकूलित कुर्सी यान
1665 रुपए से कम	(राजधानी/शताब्दी) के अलावा दूसरी गाड़ियों की दूसरी श्रेणी ही।

अन्य गाड़ियां :—

1665 रुपए और उससे अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी	दूसरी श्रेणी का वातानूकूलित दो मंजिला शयन यान या अवातानुकूलित पहली श्रेणी
1665 रुपए से कम वेतन लेने वाले कर्मचारी	दूसरी श्रेणी

कोई भी कर्मचारी पहली श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने का हकदार नहीं है।

रेल से जुड़े हुए मार्गों के बीच यात्रा : सड़क द्वारा।

(अ) 1665 रुपए या उससे अधिक वेतन ले रहे कर्मचारी किसी भी प्रकार की बस से यात्रा करने के हकदार हैं।

(ब) अन्य कर्मचारी केवल साधारण बस से ही यात्रा कर सकते हैं। अगर साधारण बस में सीटें न होने पर कोई कर्मचारी एक्सप्रेस बस में यात्रा करता है तो एक्सप्रेस बस में यात्रा करने का दावा भी स्वीकार किया जा सकता हैं।

हवाई यात्रा :—

कर्मचारी रेल से न जुड़े स्थानों के मध्य हवाई यात्रा तभी कर सकता है जब यातायात के अन्य साधन मौजूद नहीं है अथवा बहुत मंहगे हैं।

यातायात के अन्य साधनों से यात्रा :—

यातायात के उन मार्गों पर जहां यातायात का कोई साधन मौजूद नहीं है वहां कर्मचारी पशु यातायात के माध्यम से यात्रा कर सकता है। ऐसी स्थिति में किराया स्थानान्तरण यात्रा के अवसर पर यात्रा करने पर मिलने वाले यात्रा भत्ते की दर से दिया जायेगा।

(2) कर्मचारी का निम्नतर या उच्चतर श्रेणी में यात्रा करना आपत्तिजनक नहीं हैं किन्तु उसी श्रेणी के किराये के बराबर रिआयत दिया जाएगा जिसका कर्मचारी हकदार है या उस निम्नतर श्रेणी के किराये के बराबर जिससे उसने यात्रा की है।

(3) प्रत्येक मामले में यात्रा होम टाउन जाने तथा आने की होगी तथा आने जाने का किराया ही दिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि होम टाउन जाने के लिए यात्रा सेवा से ही प्रारंभ की जाए। यह कर्मचारी और उसके परिवार के ऊपर निर्भर है कि वे अपनी सुविधानुसार कहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं किन्तु उन्हें किराया उतना ही दिया जाएगा जो सेवा और होम टाउन के बीच यात्रा करने के लिए देय है।

(4) निजी रूप से चार्टर किये गए वाहन से यात्रा करने पर रिआयत नहीं दी जाएगी चाहे वह चार्टर वाहन सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगम या राज्य परिवहन निगम अथवा स्थानीय निकायों के परिवहन उपक्रम का ही क्यों न हो। इसी प्रकार किसी पार्टी द्वारा निजी रूप से चार्टर किये गये रेलवे के कोच द्वारा यात्रा करने पर रिआयत देय नहीं है। चार्टर बस अथवा चार्टर रेलवे के डिब्बे में यात्रा करने पर रिआयत तभी दी जा सकती है जब उस चार्टर बस या चार्टर रेलवे कोच का संचालन और आयोजन पूरी तरह भारतीय पर्यटन विकास निगम/राज्य पर्यटन विकास निगम अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा किया जाए।

(5) उन निजी बसों में यात्रा करने पर रिआयत दी जा सकेगी जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य सरकार की अनुमति से नियत किराया दर पर पूर्व निर्धारित स्थानों के बीच व निर्धारित समय पर नियत परिवहन सेवा के रूप में चलाई जाती है।

(6) रिआयत सबसे छोटे रास्ते के टिकट पर लिखे किराये तक सीमित होगी कर्मचारी या उसका परिवार होम टाउन या भारत दर्शन को किसी भी रास्ते से जा/आ सकते हैं या कहीं भी रुक सकते हैं।

(7) रिआयत उसी यात्रा के लिए मिलेगी जो कितने भी दिन की किसी भी प्रकार की छुट्टियों के दौरान की जायेगी और ऐसे कर्मचारी को रिआयत नहीं दी जाएगी जो छुट्टी पर जाता है, त्यागपत्र देता है और फिर लौटता नहीं है। कर्मचारी को रिआयत दी जाएगी जो सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टियां लेता हैं किंतु शर्त यह है कि कर्मचारी को कथित छुट्टियों के समाप्त होने के पहले यात्रा करके वापस लौटना चाहिए।

8. चुनिंदा मामलों में स्वीकार्यता :—

(1) अगर पति और पत्नी दोनों ही पत्तन के कर्मचारी हैं तो दोनों में से किसी एक के ही वेतनमान के अनुसार उनके परिवार को रिआयत दी जाएगी न कि दोनों के। पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के परिवार के सदस्य के रूप में रिआयत ग्रहण कर सकता है। अगर किसी कारण-वश पति और पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं तो वे दो कर्मचारियों के रूप में अपनी हकदारी के अनुसार प्रथक रूप से रिआयत ग्रहण कर सकते हैं।

(2) कर्मचारियों पर पूरी तरह से निर्भर किंतु अपना अध्ययन पूरा करने के लिए उनसे दूर रहने वाले कर्मचारियों के बच्चे होम टाउन और भारत दर्शन दोनों ही रिआयतें ले सकते हैं किंतु उनके निवास स्थान से होम टाउन या भारत में किसी स्थान तक जाकर वहां से वापसी या कर्मचारी के मुख्यालय से होम टाउन/भारत के किसी स्थान तक जाकर वहां से वापस होने पर दोनों में जिसका किराया कम होगा उसी के बराबर रियायत दी जाएगी।

(3) अगर कर्मचारी ने अपनी पत्नी तथा अपने ऊपर निर्भर बच्चों को मुख्यालय से अलग कहीं और रखा है तो उसे उनके लिये होम टाउन जाने/आने या भारत दर्शन के लिये रिआयत दी जाएगी किंतु परिवार द्वारा वास्तव में की गई यात्रा या मुख्यालय से जाकर देखे हुए स्थान या होम टाउन तक की यात्रा के उन दोनों किरायों में से जो कम होगा उसी के बराबर रिआयत दी जाएगी।

9. अग्रिम :—

रिआयत का लाभ उठाने के लिये कर्मचारी को निम्न-लिखित शर्तों पर अग्रिम धनराशि मंजूर की जाएगी :—

(1) हर मामले में अग्रिम की धनराशि रिआयत की अनुमानित राशि का 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) अगर कर्मचारी और उसका परिवार अलग-अलग रिआयत लेते हैं तो अग्रिम राशि अलग-अलग ली जा सकती है तथा अग्रिम का समायोजन प्रथक-प्रथक किया जा सकता है।

(3) यात्रा प्रारंभ करते समय जाने और आने के लिए अग्रिम धनराशि ग्रहण की जा सकती है।

(4) किसी अस्थाई कर्मचारी को किसी स्थाई कर्मचारी द्वारा भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर ही अग्रिम मंजूर किया जाएगा।

(5) अगर अग्रिम लेने के 60 दिन के अंदर यात्रा प्रारंभ नहीं की गई तो अग्रिम की पूरी धनराशि वापस जमा करनी होगी। सभी मामलों में कर्मचारी को सत्यापन के लिये रेल या बस की टिकट आदि अग्रिम ग्रहण करने के दस दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी चाहे यात्रा प्रारंभ करने की तिथि

कोई भी हो। अगर जहां अग्रिम मंजूर किया गया है तो यात्रा समाप्त होने के एक माह के अंदर अग्रिम की धनराशि के समायोजन करने का दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए। जहां कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया गया है वहां हकदारी का दावा तीन महिने के अंदर प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर कर्मचारी ने अग्रिम का समायोजन एक माह में नहीं किया तो उसे अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि एक साथ जमा करनी होगी तथा कथित राशि को किस्तों में जमा करने की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

10. कपट पूर्ण दावा :—

अगर किसी कर्मचारी ने झूठी सुचना के आधार पर रिआयत प्राप्त की है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्यवाई के दौरान उसके पूर्ण होने तक कर्मचारी को रिआयत नहीं दी जाएगी। अगर अनुशासनात्मक कारंवाई के फलस्वरूप कर्मचारी पर किसी प्रकार का दंड किया जाएगा तो अनुशासनात्मक कारंवाई के दौरान न मिलने वाली रिआयतों के साथ-साथ आगे की रिआयतों के दो दावे भी मंजूर नहीं किये जाएंगे। उपयुक्त प्राधिकारी लिखित रूप में कारण बताकर दो से अधिक दावों से भी कर्मचारी को वंचित कर सकता है। अगर कर्मचारी अभियोगों से बेदाग बरी हो जाता है तो उसे पहले न दी जा सकी रिआयतें अतिरिक्त दावों के रूप में मंजूर की जाएगी किंतु ऐसी रिआयतें सेवा निवृत्ति की सामान्य तारीख से पूर्व ही दी जा सकेगी।

11. छूट का अधिकार :—

अगर अध्यक्ष संतुष्ट है कि किसी विनियम को लागू करने से किसी मामले में अनावश्कक कठिनाई होती है तो वे लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश जारी करके उस विनियम के प्रावधानों को उस सीमा तक उन अपवादों एवं शर्तों पर रद्द कर सकते है या छूट दे सकते हैं। जितना मामले को न्याय एवं समानता के आधार पर निपटाने के लिये आवश्यक समझा गया हो।

12. विधि :—

अध्यक्ष कर्मचारी के द्वारा रिआयत प्राप्त करने की विधि समय-समय पर निश्चित कर सकते हैं। अध्यक्ष एक प्रपत्र भी निश्चित कर सकते है जिसमें कर्मचारी के द्वारा आवेदन किया जा सके।

13. निर्वचन :—

जहां इस विनियमावली के निर्वचन में कोई संदेह उपस्थित होगा तो मामला मंडल के समक्ष पेश किया जायेगा और मंडल समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (रियायती छुट्टी यात्रा) नियमावली के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी आदेशों को ध्यान में रखकर निर्णय देगे व शर्तें वे इस विनियमावली के प्रावधानों के विरोधी नहीं होंगे।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1994

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Leave Travel Concession) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/20/93-PE-I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST EMPLOYEES (LEAVE TRAVEL CONCESSION) REGULATIONS, 1994

1. In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Leave Travel Concession) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force from the date of publication of approval of the Government of India as required under the provisions of Section 124 of the Major Port Trusts Act 1963 in the Official Gazette.

2. Application.—(1) These Regulation shall apply to all persons who are appointed to a post in the service of the Board including :

(i) Who are appointed on contract basis for minimum one year;

(ii) Who are reemployed after their retirement;

(iii) Who are on foreign service to any other body, unless contract of appointment with foreign body specifies that they will be governed by the Regulations of that body in respect of leave travel concession;

(iv) Who are on foreign service to the Board unless contract of appointment specifies that they will be governed by the Regulations of Lending Authority in respect of Leave Travel Concession.

(2) These regulations shall not apply to persons·

(i) Not in whole time employment;

(ii) In casual and daily rated employment;

(iii) Paid from contingencies.

3. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires :

(i) 'Board', 'Chairman', 'Deputy Chairman' and 'Head of a Department' shall the meanings respectively assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

(2) 'Accounts Officer' shall mean an Officer(s) from the Accounts Department of the Board, designated by the Chairman, to regulate claims of employees under these regulations.

(3) 'Concession' shall mean the leave travel concession admissible under these regulations.

(4) 'Employee' shall mean a person to whom these regulations apply.

(5) 'A place in India' shall cover any place within the territory, whether it is on main land or overseas.

(6) 'Shortest direct route' shall mean the route by which traveller can most speedily reach his destination by the ordinary modes of travelling. If an employee travels by route which is not the shortest but is cheaper than the shortest his mileage allowance should be calculated on the route actually used.

(7) The expression 'Once in a period of two Calendar years' shall mean once in each block of two calendar years starting from the calendar year 1991.

(8) The expression 'once in a period of four calendar years, shall mean once in each block of four calendar yeais standing from the calendar year 1991.

(9) 'Home town' shall mean the town, village or anv other place declared as such by an employee and accepted by the competent authority.

(10) 'Competent authority' means the authority competent to sanction the concession under these regulations and shall be the same authority which is competent to sanction leave to an employee.

(11) 'Family' means the family as defined from time to time under Supplementary Rule 2(8) applicable to the Central Government employees.

4. Eligibility.—(1) Save as otherwise provided in these regulations the concession shall be admissible to all employees who have completed one year of continuous service on the date of onward journey performed by them or their family. The successive blocks of two years, or the successive blocks of four years shall be reckoned from the actual dates of their appointment or re-employments under the Board.

(2) Employees who are re-employed in the service of the Board are eligible for the concession on completion of one yaar's continuous service. But, in the case of re-employment immediately after retirement the period of re-employed service may be treated as continuous with the previous service for the purpose of this concession and the concession allowed for the re-employed period provided that the concession would have been admissible to the employee had he not retired.

(3) The employee under suspension is not eligible for concession as he/she is not eligible for grant of any leave including casual leave during the period of suspension. However, members of his/her family continue to be entitled to the concession.

5. Home Town.—(1) An employee shall declare a home town for the purpose of these regulations. The home town once declared and accepted by the competent authority shall be treated as final. In exceptional circumstances, the competent authority may authorise a change in home town provided that such a change shall not be made more than once during the service of an employee.

(2) An employee can declare his home town outside India, but he will be entitled to the concession for visiting his home town limited to the fare for journey upto and from the railway station nearest to the Port of embarkation of disembarkation in India.

(3) Where the husband and wife both are employees of the Port, they may at their option choose to declare separate home town and both of them may claim the concession to home towns separately in respect of members of their respective families. If the husband or wife avails the concession as a member of the family of the other he or she will not be entitled for claiming the concession for self-independently. The children shall be eligible for the concession of a block as members of the family of one of the parents.

6. Types of concession.—(1) The concession shall be admissible to an employee and his/her family for visit to home town in respect of distance between the head quarters of the employee and his home town once in a period of two calendar years.

(2) The concession shall be admissible to an employee and his/her family for visit to any place in India in respect of distance between the place of visit and the head quarters of the employee by the shortest direct route once in a block of 4 calender years. In the case of an employee to whom concession to home town in admissible, the concession to any place in India availed of by him/her and his/her family shall be in lieu of and adjusted against the concession to home town available to him/her and his/her family at the time of commencement of the journey.

(3) An employee whose family lives away from him/her at his/her home town may in lieu of concession available to him/her and his/her family for visit to home town and to any place in India choose to avail of concession for him/her only to visit the home town every year.

(4) An employee or his/her family who is unable to avail of the concession within a period of 2 years or 4 years as the case may be, may avail of the same within the first year of the next period of 2 years or 4 years. If an employee is entitled to concession to home town, he or she can carry forward the concession to any place in India for a block of 4 years only, if he can carry forward the concession to home town in respect of the second period of two years within the block of 4 years.

(5) When the concession to visit any place of India is proposed to be availed of by an employee or his/her family the intended place of visit shall be declared by the employee in advance to the competent authority. The declared place of visit may be changed before the commencement of the journey with the approval of the competent authority but, it may not be changed after the commencement of the journey except in exceptional circumstances where it is established that the request for change could not be made before the commencement of the journey owing to circumstances beyond the control of the employee.

(6) An employee and his/her family availing of concession may travel in different groups at different times during a period of two or four years as the case may be. The concession so availed of will be counted against the block of 2 years or 4 years within which the outward journey commence even if the returned journey was performed after the expiry of the period of two years or four years. An employee and his/her family while availing the concession to any place in India may visit different places of their choice.

(7) Tre concession can be availed of during any period of leave including casual leave and special casual leave.

7. ENTITLEMENT : (1) Journey between place connected by Rail : Rajdhani/Shatabdi Express :

Pay Range	Entitlement of Class
Employees drawing pay of Rs. 2405 and above.	Second Class A.C. 2 tire sleeper.
Employees drawing pay of Rs. 1665 and above but less Rs. 2405.	Air-conditioned chair car.
Below Rs. 1665.	The concession is restricted to second class by other trains.
Other Trains :	
Employees drawing pay of Rs. 1665 and above.	Second class air-conditioned two tier sleeper or first class.
Employees drawing pay less than Rs. 1665.	Second class.

No employee is entitled to journey by first class Air-conditioned.

Journey between places not connected by Rail1By Board :

(a) Employees drawing pay of Rs. 1665 and above are entitled to travel by any type of bus.

(b) Other employees can travel by the ordinary bus only. The claim for travel in express bus may also be admitted if the journey is actually performed by such bus on account of non-availability of seats in ordinary bus.

JOURNEY BY AIR : The employees may travel by air between places not connected by rail where an alternative means of travel is either not available or is more expensive.

JOURNEY BY ANY OTHER MEANS OF TRANSPORT : For Travel between places not connected by any other means of transport an employee can avail of animl transport. In such cases mileage allowance will be admissible at the rate admissible for journeys on transfer.

(2) There shall be no objection to an employee travelling in a lower or higher class but the Board's liability for concession shall be limited to the fares of the accommodation by the entitled class or the lower class actually used.

(3) In every case, the journey should be 'Home Town' and back and the claim should be for both outward and inward journeys. The journey to 'Home Town' need not necessarily commence from or end at, Sheva either in his own case or in the case of his family; but, the assistance admissible shall be the amount admissible for the actual distance travelled, limited to the amount that would have been admissible had the journey been performed between sheva and the 'Home Town' of the Employee.

(4) The concession is not admissible for journey by privately chartered vehicle even if the vehicle chartered is belonging to Tourist Development Corporation in Public Sector or State Transport Corporation or Transport undertakings of local bodies. Similarly, concession is not admissible for journey by railway coach chartered by a private party. The concession is admissible for travel by chartered bus or chartered rail coach only if the bus or the rail coach is wholly operated and conducted by ITDC/State Tourism Development Corporation or by a Central or State Government Undertaking.

(5) The concession is admissible for journey by private buses which operate as regular transport services from point to point at regular intervals at fixed fare rates with the approval of Regional Transport Authority|State Government.

(6) The concession shall be limited to the fare by the shortest route calculated on the through ticket. The employee or his/her family may travel by any route or halt anywhere on the way to or from the place visited by employee or home town as the case may be.

(7) The concession shall be admissible for journey only if it is performed by the employee during any kind of leave irrespective of its duration. The concession shall not be admissible to an employee who proceed on leave and resigns his post without returning to duty. The concession is admissible to an employee during leave preparatory to retirement provided the return journey is completed before the expiry of the leave preparatory to retirement.

8. ADMISSIBILITY IN CERTAIN CASES : (1) Where both the husband and wife are employees the concession shall be admissible to the family on the scale admissible to the husband or wife and not both. The husband or the wife can avail of the concession as family member of the other. If for any reason the husband or wife are residing separately they can claim the concession independently as two separate employees according to his or her own entitlement.

(2) The children of the employees wholly dependent on them but living away from them for prosecuting studies can avail the concession both to home town and any place in India. The concession will be limited to the amount admissible from the place of stay to Home Town/any place in India and back to the place of stay or from the Headquarters of the employees to the Home Town|any place in India and back, whichever is less.

(3) In cases where the employee has left his/her spouse and the dependent children at the place other than his/her Headquarters, he may be allowed concession in respect of them to Home Town or any place in India but the reimbursement shall not exceed the actual distance travelled by the family or distance between the Headquarters and the place visited|Home Town whichever is less.

9. ADVANCE : Advance may be granted to an employee to enable him to avail of the concession on the following terms and conditions :—

(1) The amount of advance in each case shall be limited to 90 per cent of the estimated amount of concession.

(2) Where the employee and his family avail this concession separately, the advance may be drawn separately and adjustment of claim may be made separetely.

(3) The advance may be drawn for both outward and return journey at the commencement of the outward journey.

(4) The advance will be sanctioned to a temporary employee on production of surety of a permanent employee.

(5) Advance shall be refunded in full if the outward journey is not commenced within 60 days of the grant of the advance. In all cases the employee shall produce for verification railway or bus ticket etc., within 10 days of drawal of advance irrespective of the date of commencement of the journey. Where an advance has been granted, the claim for adjustment of the advance should be submitted within one month of the completion of the returned journey. Where an advance has not been drawn, the claim should be submitted within three months. On failure to do so the employee shall be required to refund the entire amount of advance forth with in on lumnsum. No request for recovery of advance in instalment shall be entertained.

10. FRAUDULENT CLAIM : If an employee claims the concession on the basis of false information, disciplinary action may be taken against the employee. During the pendency of disciplinary proceedings, the employee shall not be allowed the concession till the finalisation of such disciplinary proceedings. If the disciplinary proceedings result in imposition of any of the penalties, the employee shall not be allowed next two claims of concession in addition to the claim already withheld during the pendancy of the disciplinary proceedings. The competent authority may disallow more than two claims of concession for reasons to be recorded in writing. If the employee is fully exhonerated of the charges, he shall be allowed to avail of the concession withheld earlier as on additional claim (s) in future block years but before the normal date of superannuation.

11. POWER OF RELAXATION : Where the chairman is satisfied that the operation of any of these regulations causes undue hardship in any particular case, the Chairman may be order for reasons to be recorded in writting dispense with or relax the requirement of that regulation to such an extent and subject to such exceptions and conditions as it may be considered necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

12. PROCEDURE : The Chairman may prescribe from time to time the procedure for availing the concession by an employee. The Chairman may also prescribe a form in which the application may be submitted by the employee.

13. INTERPRETATION : Where a doubt arises as to the interpretation of these regulations the matter shall be placed before the Board which shall decide the matter keeping in view the provisions of the Central Civil Services (LTC) Rules as amended from time to time and orders issued thereunder to the extent they are not inconsistent with the provisions for these regulations.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994